न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 433 /2022

उनवान

मदन पुत्र कनीराम बैरागी निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– सुखा पिता नानू भील निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
2– शेरसिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
3– लादु पुत्र भीवड़ा भील निवासी निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
4– रामसिंह पुत्र केशर सिंह राजपूत निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
5– भेरू पुत्र उदा जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
6– गोपाल पुत्र हरदेव जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
7– धन्ना पुत्र लादु जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
8– फोरू पुत्र धन्ना जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
9– रामेश्वर पुत्र लक्ष्मण चमार निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
10– रामचन्द्र पुत्र तेजु चमार निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
11– पीरू मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद पिनारा निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
12– इन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
13– कालु पुत्र रामप्रसाद वैष्णव निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
14– कैलाश पुत्र मोहनदास वैष्णव निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
15– लादु पुत्र गंगा बलाई निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 09.01.2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **बड़ेसरा पटवार हल्का फुलिया खुर्द** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1092 रकबा 0.24 है0, 260 रकबा 0.21 है0, 536 रकबा 0.62 है0, 985 रकबा 0.21 है0** कुल किता **4** रकबा **1.28** हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 14** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 15** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बड़ेसरा पटवार हल्का फुलिया खुर्द संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **बड़ेसरा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता **4 रकबा 1.28 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **09.01.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा